

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज०) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्र.सं.	विवरण	विज्ञापन शुल्क
01.	स्वयं के व्यवसाय का लघु विज्ञापन पट (4'x50')	मुख्य मार्ग पर 100/- रुपये प्रति वर्ग फीट अन्य मार्गों पर 50/-रुपये प्रति वर्गफीट
02.	अन्य के व्यवसाय का लघु विज्ञापन पट (4'x50')	उस क्षेत्र के पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के औसत प्रति वर्ग फूट से आधी राशि होगी।
03.	ऐसे वाहन जो वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु के आयात निर्यात में काम आते हैं।	100/- रुपये प्रति वर्ग फीट
04.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन एवं इससे अनुबंधित वाहन/निजी सवारी/बसे/टैम्पों आदि पर लिखे गए	100/- रुपये प्रति वर्ग फीट
05.	ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्श हेतु ही निर्मित किए गए हैं	1100/- रुपये प्रति वर्ग फीट
06.	ऐसे वाहन/पशु/पशु वाहन जो उत्पादन को विक्रय की दृष्टि से रोड शो के उपयोग में आते विज्ञापन कार्य।	सात दिवस हेतु 50/-रुपये वर्गफीट सात दिवस से अधिक 100/-रुपये वर्गफीट एक माह से अधिक 1100/-रुपये प्रति वर्गफूट
07.	आकाश में गैस बैलून द्वारा विज्ञापन	100/-रुपये प्रति वर्गफीट
08.	नगर निगम क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर निर्धारित डिजाइन, साइज, आकार-प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन प्रदर्श	100/-रुपये प्रति वर्गफीट
09.	निकट भविष्य में अपने प्रतिष्ठानों का उद्घाटन/शुभारंभ पर विज्ञापन की अस्थाई रूप से अनुमति	100/-रुपये प्रति वर्गफीट

नोट :- उपरोक्त वर्णित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिष्ठत की वृद्धि की जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

उमरुद्दिन
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :- 0151-2226902, 0151-2226905.
EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 340 की उप धारा (1) के खण्ड (आई) (जे) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम बीकानेर द्वारा उप विधियाँ बनाता है, नामत :-

बीकानेर नगर निगम (विज्ञापन) उप विधियां, 2015

1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :- (क) ये उप विधिया नगर निगम बीकानेर (विज्ञापन) उप विधियां 2015 कहलावेगी।
(ख) ये उप विधियां बोर्ड की स्वीकृति के 30 दिन पश्चात प्रभावशील होगी।
(ग) ये उप विधियां बीकानेर नगर निगम की समस्त सीमा (Municipal Limit) में प्रभावशील होगी।
2. शास्त्रिक परिभाषाएँ :- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उप विधियों के प्रयोजनार्थ निम्नाकिंत शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :-
(क) “महापौर” से तात्पर्य नगर निगम के महापौर से है।
(ख) “अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत नगर निगम की गठित वित समिति के अध्यक्ष से है।
(ग) “अनुज्ञा पत्र” (लाइसेंस) से अभिप्रेत इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले ग्राहक को दिये गये अनुज्ञा पत्र से है।
(घ) “अनुज्ञापत्रधारी” (लाइसेंसी) से अभिप्रेत इन उप विधियों के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है तथा इसमें इसका अधिकार्ता प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित है।
(इ) मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त
(च) “नगर निगम सूचना” से अभिप्रेत निगम द्वारा निर्धारित पट्टी से है जो किसी भी प्रकार के सूचना पत्र विज्ञापन, वात विपत्र, (होर्डिंग) आदि लगाने अथवा चिपकाने के लिये निगम द्वारा निश्चित किया गया है।
(छ) “निगम” से अभिप्रेत बीकानेर नगर निगम से है।
(ज) “विज्ञापन” से तात्पर्य ऐसे पट्ट या सूचना पट्ट स्लिकार्ड, हस्त विपत्र, रेखाचित्र नाम पट्ट, यिद्युत चालित विज्ञापन, बैनर, प्रक्षेपित चिह्न (एम्बलम) वालपेन्टिंग चल वाहनों पर विज्ञापन व

16
उम्मायुक्त
बीकानेर नगर निगम
23/11/2016

होर्डिंग्स आदि से है जो किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान, भूमि, दीवार या आकाश, चल वाहन/वस्तुओं पर प्रदर्शित हों तथा जो किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करने के लिये प्रयुक्त हो जो किसी फर्म/एजेन्सी/व्यक्ति/संस्था/उत्पाद आदि का नाम व विज्ञापन प्रदर्शित करें।

विज्ञापन प्रदर्शन 30

(2)

(झ) “परिष्कृत क्षेत्र” (सोकिस्टीकॉर्ड एरिया) से अभिप्रेरत ऐसे क्षेत्र से है जो लाईसेंसिंग आयोरिटी द्वारा विज्ञापन समिति की राय से निर्धारित किया जावे।

(य) “विज्ञापन समिति” से अभिप्रेरत उस समिति से है जिसका गठन निर्वाचित बोर्ड द्वारा किश जावेगा एवं जिसे एक उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिनियम की शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।

(र) “खतरनाक विज्ञापन प्रदर्शन” से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रदर्श से है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो परन्तु कोई विज्ञापन केवल दृष्टि मात्र होने से खतरनाक नहीं होगा और कौनसा विज्ञापन खतरनाक माना जावे या खतरनाक नहीं माना जावे, इस बारे में निगम का निर्णय अंतिम होगा।

(ल) “लघु विज्ञापन पट्ट” से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्ट से है जो आकार में 4 फीट×50फीट से अधिक ना हो।

(व) “विज्ञापन समीक्षा समिति” से अभिप्राय ऐसी समिति से है जो आगे इन उप विधियों में अंकित की गई है।

(स) “निर्दिष्ट स्थान” से तात्पर्य वह स्थान होगा जो निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

(स-क) “विज्ञापन शुल्क” से तात्पर्य बीकानेर नगर निगम द्वारा विज्ञापन प्रदर्श हेतु लगाए गए शुल्क से है।

(स-ख) “निर्धारित आवेदन पत्र” से तात्पर्य ऐसे आवेदन पत्र से है जिसमें विज्ञापनकर्ता को अपना आवेदन/नवीनीकरण हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(स-ग) “अस्थाई विज्ञापन” से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन होंगे जो कि सीमित अवधि हेतु आम रास्तों, निर्माणाधीन भवनों, किसी त्यौहार, समारोह, प्रदर्शनी, राजनैतिक सभा, विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के संदर्भ में दरवाजों, पोल, फलेग, होर्डिंग्स (अस्थाई), मोबाइल विज्ञापन, सर्पिंस/डिलेवरी वेन के माध्यम से प्रदर्शन करने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं।

(स-घ) “पंजीकृत ऐंजेसी” से तात्पर्य ऐसी ऐंजेसी से है जो बीकानेर नगर निगम सीमा में निर्जीवी भूमि/भवन, सरकारी भूमि या भवन पर विज्ञापन प्रदर्शन करती है एवं इस प्रयोजनार्थ बीकानेर नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरात बीकानेर नगर निगम से रजिस्टर्ड है।

*उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम
22/01/2016*

(स-ड.) "दिशा सूचक बोर्ड" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो निजी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित हो एवं अपने कार्यालय की स्थिति को निर्देशित करता हो।

(स-च) ~~(Abenkundal)~~ "विलगित (Abenkundal) नवीनीकरण शुल्क" से तात्पर्य ऐसी फीस लगाने से है जिसमें आवेदक द्वारा विज्ञापन पट्ट का नवीनीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित अधिक के पश्चात लाइसेंस ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया गया हो।

(स-छ) "इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जिसका संचालन विद्युत, इलैक्ट्रोनिक उपकरण, निओन साइन, ग्लोसाइन एल.ई.डी./एल.सी.डी इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

(स-ज) "विविध विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापनों से है जिनका चित्रण विज्ञापन पट्ट के अंदर विद्युत बल्ब लगाकर, रोशन किए जावें, या इस तरह के विज्ञापन जो कि बहुकोणों से दर्शनीय हो एवं जिनका पठन सूर्य अस्त के पश्चात भी हो सके जैसे :- ट्राइविजन एडवरटाइजमेंट (ट्राइएड), बेकलिट एडवरटाइजमेंट, इल्यूमिनेटेड, ग्लोसाइन/न्योनसाइन इत्यादि।

(स-झ) ~~उच्चकालीन~~ "स्कोलर डिस्प्ले विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन पट्टों से है जो कि इलैक्ट्रोनिक स्मार्टफोनों से चलित होते हैं एवं एक निर्धारित स्थान पर फिक्स किए जाकर स्कोलर डिस्प्ले द्वारा विभिन्न विज्ञापनों को प्रदर्श करते हैं।

(भ-ज) "यूनीपोल पर विज्ञापन प्रदर्शन" से तात्पर्य ऐसे होर्डिंग स्ट्रेक्चर से है जो कि एक से अधिक आयरन एंगिल से तैयार नहीं किया जाकर एक ही स्टील पाईप पर आधार तैयार किया जाकर विज्ञापन प्रदर्श किया जाता है।

(झ-त) "फुट ओवर ब्रिज विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो पदयात्रियों हेतु फुट ओवर ब्रिज एवं अण्डरग्राउण्ड मार्ग पर प्रदर्श किए जावें।

(झ-थ) "गेन्ड्री विज्ञापन" से तात्पर्य विज्ञापन से है जो सड़क के ऊपर खम्भों के सहारे सड़क के आस-पार (एकोस दी रोड) यातायात को दृश्य होते हुए प्रदर्श किए जाते हैं।

(झ-द) "अनाधिकृत विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे प्रदर्श विज्ञापनों से है जिन्हे गत वर्षों में लाइसेंस ऑथोरिटी द्वारा लाइसेंस दिया गया था, मगर किन्हीं कारणवश समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया जाकर वर्तमान में भी विज्ञापन प्रदर्श किया जा रहा है एवं बिना सक्षम स्पीकृति के विज्ञापन प्रदर्श किये जा रहे हैं।

(स-ध) "स्वनिर्धारण योजना" "एसएएस (एड)" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन जो कि राजकीय भूमि से पृथक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर व्यापारिक उद्योग की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। निर्धारित प्रत्र में निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए स्वनिर्धारण योजना एवं नियमों के अंतर्गत प्रदर्श करने हेतु अनुमत होगी।

(स-न) "बस शैल्ट्स" से तात्पर्य बस में परिवहन हेतु यात्रियों के लिए ऐसे स्थान से है जहां पर यात्री बस के इंतजार के लिए एकत्र होते हैं। बस शैल्ट्स का साइज निगम द्वारा निर्धारित साइज का होगा। विज्ञापन बीकानेर नगर निगम द्वारा अनुमति किए गए डिजाइन एवं माप के अनुसार होंगे।

(स-ट) "कियोस्क" से तात्पर्य बिजली के खम्भों पर लगने वाले विज्ञापन पट्टों से है। विज्ञापन पट्टों का आकार बीकानेर नगर निगम द्वारा तय किए अनुसार होगा।

(स-ठ) "आकाशीय बैलून" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो जमीनी सतह से ऊपर आकाश में गुब्बारे अर्थात् गैस बैलून पर प्रदर्श किए जावें।

(स-ड) "मार्गों के सौन्दर्यीकरण" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन, जो रोड़ सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत रोड़ डिवाइडर, सर्किल, सिस्टम, फुटपाथ पर रैलिंग के सहारे, ट्री गार्ड पर या नियमों के अधीन स्थीकृत डिजाइनों द्वारा प्रदर्श हो।

(स-ढ) "पुलिस कियोस्क/बूथ पर विज्ञापन" से तात्पर्य है कि यातायात कन्ट्रोल एवं यातायात से संबंधित निर्देश देने हेतु स्थापित कियोस्क/बूथ/छतरियों आदि पर किए गए विज्ञापन बीकानेर नगर निगम से लाइसेंस एवं विज्ञापन शुल्क जमा करवाने के पश्चात ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।

(स-ण) "जन सुविधाएं हेतु निर्मित सुविधा स्थलों पर विज्ञापन" से तात्पर्य है कि ऐसे स्थान जो जनसुविधा हेतु निर्मित किए गए हैं जैसे:— ट्रांसमिशन टॉवर (मोबाईल फोन कंपनीज), भुलभ शैचालय, डेयरी बूथ, टेलीफोनी बूथ, कम्प्यूटर/इंटरनेट बूथ, बैच, ट्री गार्ड, कचरा पात्र, पार्किंग/यातायात बेरिकेट्स इत्यादि पर बीकानेर नगर निगम में निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराने एवं लाइसेंस प्राप्त करने के उपरात ही विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे।

(स-प) "स्वविज्ञापन" से तात्पर्य बहुमंजिली ईमारतों में बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थित प्रतिष्ठानों की स्थिति प्रदर्श करने हेतु निर्देश पट्टी का बोर्ड से है जिस पर संबंधित प्रतिष्ठान का नाम एवं ईमारत में उसकी स्थिति प्रदर्श होती हो ऐसी पट्टीका सरकारी भूमि/फुटपाथ पर नहीं होशी।

(स-फ) "शोकेस (विण्डो) विज्ञापन" से तात्पर्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर निर्मित शोकेस (विण्डो) में रखी विभिन्न वस्तुओं से हैं जिनसे विज्ञापन का आभास होता है जैसे:— शोकेस में रखे खिलोने, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट आईटम्स संबंधित प्रतिष्ठान में विक्रय किए जाने वाली वस्तुएं इत्यादि जो सार्वजनिक मार्ग से प्रदर्श होती हो।

(स-ब) "प्रदर्शनी स्थल" से तात्पर्य ऐसे स्थल से है जहां विभिन्न प्रकार के सामानों का एक निश्चित स्थल पर प्रदर्शन/आयोजन किया जाता है।

(श) जो शब्द यहाँ परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में नगर पालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होगी।

3- निषेद्ध :- (1) निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन किसी भवन, पुल, आकाश, मार्ग मय फुटपाथ, पेड़, नगर प्राचीर, नगरद्वार, बिजली या टेलीफोन के खम्बों, चल-अचल वाहनों/वस्तुओं पर अथवा किसी भी खुले स्थान पर बिना अनुज्ञापत्र के नहीं लगायेगा और ना ही चिपकायेगा/चित्रित/प्रदर्शित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के किसी भवन, पुल, मार्ग, नगर प्राचीर या नगरद्वार, बिजली व टेलीफोन के खम्बे, चलवाहन, डेयरी बूथों, कियोस्क एवं शुलभ शैचालय, बस सैल्टर्स, रोड डिवाईडर पर नहीं लिखेगा और ना ही चित्रित करेगा तथा न ही अन्य किसी प्रकार की तस्वीरों द्वारा ऐसे संकेत प्रदर्शित करेगा कि जिनको कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति विज्ञापन होने का ख्याल करें। उपरोक्त कृत्य विज्ञापन प्रदर्श है या नहीं। इसका निर्णय लाईसेंस ऑथोरिटी द्वारा किया जावेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति अथवा भवन व भूमि स्वामी, निजी भवनों के ऐसे स्थानों पर जो किसी सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देते हैं अथवा किसी आन्तरिक से प्रभावित होते हों, किसी भी प्रकार के विज्ञापन बिना अनुज्ञापत्र के न चिपकायेगा न चिपकाने की स्वीकृति देगा, न लिखेगा, न लिखने की स्वीकृति देगा न चित्रित करेगा और न चित्रित करने की स्वीकृत देगा। अर्थात् व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यावसायिक संस्थान के अलावा निजी भवनों पर विज्ञापन करना निषेध होगा।

4- अनुज्ञा पत्र प्राप्ति की प्रणाली :- (क) सार्वजनिक स्थलों के निर्दिष्ट स्थानों पर यूनिपोल ईकलिट टॉवर, विडियोबॉल, ओवरहैड साइनेज (गेन्ट्री), बस शैल्टर्स, फुट, ब्रिज, टोयलेट, हाई मास्क लाइट, पुलिस छत्री, टेलीफोन बूथ, डस्टबीन, खम्बों पर लगाने वाले कियोस्क, लघु विज्ञापन पट्ट बैनर एवं पोस्टर्स पुलियाओं पर फलॉवर पॉट, डिवाईडर/फुटपाथ पर ट्री गार्ड, लगाने के चयनित स्थान एवं समय समय पर विज्ञापन प्रदर्श करने से संबंधित आने वाली तकनीकी को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा उपबंधित ~~सीती~~ सीती से अन्य प्रकार से विज्ञापन लाईसेंसी द्वारा किया जा सकता है, अनुमत किए गए विज्ञापनों के आकार-प्रकार एवं साइज का निर्णय नगर निगम द्वारा गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा। जिसका अनुमति पत्र खुली नीलामी के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे, परन्तु यदि विज्ञापन समिति उचित समझे तो इन उप विधियों के अनुरूप मौजुदा विज्ञापन पट्टों का नवीनीकरण विज्ञापन समिति के अनुमोदन से किया जा सकता है। यह नवीनीकरण गत वर्ष के शुल्क की राशि से 10 प्रतिशत बढ़ाइ जाकर किया जायेगा। लेकिन तीन वर्ष में एक बार नीलामी आवश्यक होगी। परम्परागत लगाने वाले आयरन स्ट्रेक्चर्स के होर्डिंग्स नगर निगम द्वारा अनुमत नहीं किए जाएंगे। बीकानेर नगर निगम द्वारा बीकानेर नगर के सौदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए किन्हीं विशेष खड़कों/नार्गी/रास्तों/चौराहो/दोराहों/तिराहो के लिए बीओटी बेसिस पर चयन किया जाकर पूर्ण मार्ग की नीलामी द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन करने हेतु दिया जा सकेगा। विज्ञापन का आकार

लोकप्रेस्ट

प्रेकार साइज, ऊँचाई इत्यादि का निर्धारण नगर निगम, विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा।

(ख) वृक्ष कंबच(ट्री गाडसी), रोड डिवाइडरों, बस सैल्टरो, सुलभ शौचालयों, डेयरी बूथों, फिल्म पोस्टरों बैनर पट्ट/छोटे विज्ञापन पट्ट/विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग्स) आदि पर विज्ञापन प्रदर्श लाइसेंस खुली नीलामी/बीओटी आधार पर किया जा सकेगा, जिनकी शर्तों का निर्माण विज्ञापन समिति द्वारा किया जावेगा। ट्री गाडसी एवं रोड डिवाइडरों की रैलिंग पर केवल छोटे वृताकार अथवा आयताकार विज्ञापन की ही अनुमति दी जायेगी।

(ग) विद्युत चलित/इलेक्ट्रोनिक विज्ञापन प्रदर्श निर्धारित स्थानों पर खुली नीलामी के द्वारा दिये जायेगे।

(घ) यदि आवेदन पत्र निगम सूचना पट्ट पर चिपकाने के लिये प्रस्तुत हुआ है तो, आवेदक उतनी ही प्रतिया विज्ञापनों के साथ में प्रस्तुत करेगा, जितनी कि वह चिपकाना चाहता है और आवेदन पत्र में उन सब नगर निगम सूचना पट्टों का विवरण देगा जिन पर चिपकाने का वह इच्छुक है। लेकिन ऐसी सूचनाएं अथवा विज्ञापन पत्र 60×80 सेंटीमीटर से अधिक बड़े नहीं होंगे। ऐसे विज्ञापन पत्र की शुल्क(फीस) प्रतिदिन 10 रु 60×80 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। विज्ञापन प्रदर्श अवधि 15 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ङ.) 1. इन उप विधियों के प्रयोजनार्थ आयुक्त अनुज्ञापत्र प्राधिकारी (लाईसेंसिंग आथोरिटी) होगे।

2. विज्ञापन समीक्षा समिति के अध्यक्ष महापौर होंगे एवं निम्नांकित सदस्य होंगे, जिसकी वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलानी होगी :—

1. उप महापौर, बीकानेर नगर निगम।
2. विज्ञापन समिति के अध्यक्ष (जिन्हे नगर निगम द्वारा धारा 55 में विज्ञापन प्रदर्श से संबंधित अधिकार प्रत्यायोजित किये हो)।
3. आयुक्त नगर निगम जो सदस्य सचिव होंगे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता नगर निगम।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर।
6. पुलिस अधीक्षक यातायात या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी।
7. अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर।
8. अन्य दो व्यक्ति जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम द्वारा मनोनीत किया जावें, जो समय समय पर निगम द्वारा परिवर्तित किये जा सकेंगे।

5. इन उप विधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा, यदि

- (1) आवेदन पत्र में उप विधियों के कलॉज संख्या 4 शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।

- (2) उसके दृष्टिकोण से विज्ञापन अनुचित या अवैधानिक है अथवा आशिष्ट या अश्लील हैं या महिला विरुद्धपण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है या नागरिकों के लिये कलेशकार है अथवा उनका प्रदर्शन उसकी दृष्टि में किसी भी अन्य प्रकार से अवांछनीय है या जिनमें अश्लील अथवा नशे के चित्र, सकेंत या लिखित रूप में प्रदर्शित किये गये हैं।
- (3) विज्ञापन से जन शांति भगं होने का अन्देशा हो या सार्वजनिक हित में अथवा जन कल्याण में बाधक हो।
- (4) विज्ञापन इन उप विधियों में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है।
- 6- आयुक्त को अधिकार होगा कि वह अनुज्ञाधारी को बिना पूर्व सूचना दिये ऐसे विज्ञापन को चाहें वे मुद्रित हो या लिखित या चित्रित हों या विज्ञापित स्थानों पर लगाये गये हों जिनमें शांति भंग होने का अन्देशा हो या अन्य प्रकार से सार्वजनिक हित या जनकल्याण में बाधक हो या उप विधि 5 के अन्तर्गत अस्वीकार किये गये या बिना स्वीकृति लगाये गये हों। यदि पट्ट निजी है और गन्दी व भद्रदी हालत में रखा जाता है तो उसे हटा सकेंगे अथवा स्वच्छ करा सकेंगे। लाईसेंसिंग आथोरिटी द्वारा हटाये गये विज्ञापन की क्षति का मुआवजा और हटाने का खर्चा जो भी वह निश्चित करेंगे, उस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा जिसने व जिसका विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।
- 7- प्रत्येक विज्ञापन पट्ट आदि सामान्यतया उसी फर्म और व्यक्ति का माना जावेगा जिनका कि उस पर नाम अंकित है, जब तक कि सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा विपरीत प्रमाणित न हो जावें।
- 8- इन उप विधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये कोई भी अनुमतिपत्र या अनुज्ञापत्र अहस्तान्तरणीय होनें। विज्ञापनप्रदर्श पर फर्म या व्यक्ति का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एडवरटाइजिंग एजेन्सीज/संस्थान भी अनुज्ञापत्र इन उप विधियों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकेंगे।
- 9- इन उप विधियों के अनुसार जो भी विज्ञापन अथवा चित्रित या लिखित विज्ञापन सूचनाएं आदि हटाई या पोतकर स्वच्छ की जावेगी उनके लिए निगम किसी प्रकार की क्षति की उत्तरदायी नहीं होगी और न वह शुल्क राशि ही लौटाई जावेगी जो स्वीकृति के लिए जमा की गई है एवं विज्ञापन के गिरने, हटने व प्राकृतिक आपदा के कारण हुई आम जन/धन हानि की समस्त जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता की मानी जावेगी। इसके लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 10- नगर निगम द्वारा निर्देशित स्थान अथवा किसी भी संस्थागत भवन/व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकान/व्यवसायिक संस्थान जो कि सार्वजनिक मार्ग पर हो विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे बशर्ते कि स्वच्छ वायु एवं प्रकाश पर कुप्रभाव न पड़े।

11.- नगर निगम सूचना पट्ट पर विज्ञापन चिपकाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयुक्त का कर्तव्य होगा कि -

(1) यदि वह विज्ञापन को अनुमोदित करता है तो आवेदक द्वारा विज्ञापन प्रदर्शन किया जा सकता है और प्रदर्शन किये जाने वाले विज्ञापन को अनुमोदित करेगा इसके लिए अनुमति जारी करेगा।

(2) यदि वह विज्ञापन आदि को अस्वीकार कर देता है तो लिखित में कारण बताते हुए उसकी प्रतियां वापस आवेदक को लौटा देगा।

(3) यदि लौटाई जाने वाली सूचनाओं की या विज्ञापनों की शुल्क जमा हो चुकी है, तो वह भी वापस लौटा दी जावेगी।

12.- (1) प्रत्येक विज्ञापन प्रदर्श हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अलग अलग प्रार्थना पत्र मय निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आवेदक द्वारा एक से अधिक विज्ञापन प्रदर्श हेतु इक्काई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके आधार में प्रार्थना पत्र खारिज किया जा सकेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान का स्वामी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, जो सार्वजनिक मार्ग से दिखाई दे अथवा किसी आम रास्ते से प्रभावित होती हो किसी प्रकार का लघु विज्ञापन पट्ट (ग्लोसाईन, च्योन, साईन, विज्ञापन पट्ट, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, फ्लैक्स इत्यादि) लगाना चाहेगा आवेदन पत्र आयुक्त अर्थात् लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेगा, जिसे निमानुसार विज्ञापन शुल्क जमा कराने पर अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा:-

(1) किसी प्रकार के होर्डिंग स्ट्रेचर की स्वीकृति निजी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नहीं दी जा सकेगी। निजी खाली भूखण्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो नगर निगम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम द्वारा अनुमत साइज, डिजाइन का विज्ञापन प्रदर्श किया जा सकेगा। खाली भूखण्ड पर लगाये जाने वाले विज्ञापन की ऊँचाई सार्वजनिक भवनों, प्राचीरों एवं ऐतिहासिक महत्व की पुरातत्व इमारतों की ऊँचाई से ऊपर नहीं होगी। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के ओसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। नवीनीकरण भी इसी नीती द्वारा किया जावेगा।

(2) लघु विज्ञापन पट्ट की अधिकतम चौड़ाई 4 फीट एवं लम्बाई 50 फीट से अधिक नहीं होगी अर्थात् लघु विज्ञापन पट्ट व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर समानान्तर लगाने होंगे, लम्बवत् नहीं लगाए जा सकेंगे।

(3) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर केवल मंजिल दर मंजिल ही लघु विज्ञापन प्रदर्श हो सकेंगे। वेन्टीलेट्स (टर्वाजे, रिडर्को, रोशनदान, इत्यादि) खुले रखने होंगे अर्थात् वेन्टीलेट्स के आगे लघु विज्ञापन पट्ट प्रदर्श कर अवरुद्ध नहीं किए जा सकेंगे। बहुमंजिले व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिनमें विज्ञापन प्रदर्श हेतु विशेष स्थान निर्माण के दौरान छोड़े गये हैं, उन स्थानों पर नगर

97

निगम की पूर्व स्वीकृति से विज्ञापन प्रदर्श किये जा सकेंगे। ऐसे समस्त प्रदर्श विज्ञापनों का शुल्क उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गई साइटों के औसत प्रति वर्ग से आधी होगी।

- (4) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर स्वयं के व्यवसाय का 4' x 50' तक लघु विज्ञापन पट्ट लगाने की जो भी अनुमति प्राप्त करेगा वह निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 100/- रु प्रति वर्ग फीट मुख्य मार्गों पर एवं अन्य रास्तों पर 50/- रु प्रति वर्ग आवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की राशि जमा करवाएगा। मुख्य मार्ग, अन्य मार्ग का निर्धारण विज्ञापन समिति द्वारा किया जायेगा। अपने प्रतिष्ठान में चले रहे व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के विज्ञापन प्रदर्श करने पर उस क्षेत्र की पिछले/अन्तिम वर्ष की निगम द्वारा नीलाम की गयी साइटों के औसत प्रति वर्ग फुट से आधी राशि होगी। जिसकी अनुमति नगर निगम से विज्ञापन प्रदर्श करने से पूर्व लेना आवश्यक होगा। साईज 4 फीट x 50 फीट से अधीक नहीं होगी।
- (5) अनुमति पत्र की अधिकतम अवधि एक वर्ष की रहेगी जोकि वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के आधार पर मानी जावेगी। अनुमति पत्र अवधि की न्यूनतम सीमा वित्तीय वर्ष की ही होगी।
- (6) किसी भी प्रकार का विज्ञापन एवं सूचना निजी/सरकारी भवनों/प्राचीरों/दरवाजों/ऐतिहासिक महत्व के स्मारक/सार्वजनिक पूल की दीवारों पर चित्रित/प्रदर्श करने की अनुमति नहीं होगी
- (7) कोई भी संस्था विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय करण/राजकीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग संस्थाएं अपने भवन की छत को छोड़ते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर नगर निगम की स्वीकृति से अपने विभाग से संबंधित सूचनाएं/विज्ञापन प्रदर्श कर सकेंगे जिसका आकार—प्रकार एवं डिजाइन भी नगर निगम से स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा बीओटी एवं अन्य ऐसी पद्धति से कराया गया किसी भी प्रकार का कार्य जिस पर विज्ञापन प्रदर्श हो नगर निगम की एनओसी प्राप्त किये बिना नहीं करायेगा एवं बीओटी पर कराये जा रहे कार्य पर होने वाले विज्ञापन पर नियम 12 (2) (1) अनुसार विज्ञापन शुल्क देय होगा।
- (8) चल वाहनों पर विज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :-
- ऐसे वाहन जो वस्तु के उत्पादन द्वारा वस्तु के आयात निर्यात में काम आते हैं उन पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/- प्रति वर्ग फीट होगी।
 - राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहन एवं इससे अनुबंधित वाहन/निजी सवारी बसे/टैम्पो आदि पर लिखे गए विज्ञापन की दर 100/- रु प्रति वर्ग फीट होगी।
 - ऐसे वाहन जो विज्ञापन प्रदर्श हेतु ही निर्मित किए गए हैं, ऐसे वाहनों पर प्रदर्श विज्ञापन की दर 1100/- प्रति वर्ग फीट होगी।

- (d) ऐसे वाहन/पशु/पशु वाहन जो उत्पादन को विक्रय की दृष्टि से रोड शो के उपयोग में आते हैं उनसे अधिकतम सात दिवस हेतु 50/- रु प्रति वर्ग फीट की दर से विज्ञापन शुल्क लिया जाएगा परन्तु 7 दिवस से अधीक दिवस हेतु अगर रोड शो किये जाने की दर 100/- प्रति वर्ग फीट होगी। परन्तु एक माह से अधीक रोड शो किया जाता है तो दर जाने की दरमें 1100/- रु प्रति वर्ग फुट हिसाब से शुल्क देय होगा। अर्थात् दरे कितीय ॥
- (9) आकाश में गैस बैलून द्वारा आदर्श विज्ञापनों का शुल्क 100/- प्रति वर्ग फीट देय होगा। वर्ष की दरमें लाइसेंस अवधि की न्यूनतम सीमा वितीय वर्ष की ही होगी।
- (10) निगम द्वारा बैनर्स/फिल्मी पोस्टर्स/पोस्टर्स के लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। निगम द्वारा चयनित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्श हेतु नीलामी की जावेगी।
- (11) गैर व्यवसायिक जैसे धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक सूचनाएं बीकानेर नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाई जा सकेंगी, इनके लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी। — निगम द्वारा चिह्नित एवं निर्धारित स्थानों पर निश्चित साईज के सूचना पट्ट लगाने हेतु आवेदनकर्ता को प्रदर्श करने वाली सूचना के साथ प्रथम 7 दिवस के लिए 50/-रु का शुल्क प्रति साइट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 7 दिन के पश्चात अधिकतम 15 दिन के लिए 100/-रु प्रति वर्ग फीट की दर से 7 दिन की अवधि पूर्ण होने से पूर्व राशि जमा करवाते हुए नगर निगम से पूर्व अनुमति पुनः प्राप्त करनी होगी। 15 दिन से ज्यादा सामयावधि नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
- (12) नगर निगम द्वारा निर्धारित एवं चिह्नित स्थानों पर ऐसे विज्ञापनकर्ता भी विज्ञापन 100/- रु प्रति वर्ग फीट निगम से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगा सकेंगे जो कि निकट भविष्य में अपने प्रतिष्ठानों का उद्घाटन/शुभारम्भ कर रहे हैं। यह अनुमति अस्थाई रूप से अधिकतम 7 दिवस के लिए होगी।
- (13) नगर निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न कंपनियों के पैट्रोल पम्पों पर बीकानेर नगर निगम द्वारा निर्धारित डिजाइन, साईज, आकार-प्रकार के अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन ही प्रदर्श किये जा सकेंगे जिनकी दर 100/- प्रति वर्गफीट प्रति वर्ष होगी। विज्ञापन करने से पूर्व निगम से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।
- (14) दीपावली, ईद, क्रिसमस, तीज, गणगौर राजस्थान समारोह, बीकानेर समारोह, आदि त्यौहारों पर बाजारों में विशेष सजावट पर व्यापार मण्डलों/संस्थाओं व्यक्ति विशेष द्वारा सार्वजनिक मार्गों/रास्तों पर सामूहिक सजावट के दौरान किये जाने वाले विज्ञापनों के लिए विज्ञापन समिति निर्धारित विज्ञापन शुल्क तय करेंगी जो राशि देकर एवं अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विज्ञापन करा सकेगा। यह सुविधा शहर की चार दिवारों में भी देय होगी। सजावट विज्ञापन अवधि 7 दिवस से अधिक नहीं होगी।

उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम


25/11/2016

(15) शासकीय/अर्द्धशासकीय उपक्रम व विभागो इत्यादि को भी उक्त उपविधियों की अनुपालना करनी होगी।

उपरोक्त वर्णित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निम्नलिखित की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

13. प्रतिबन्धित :-

1. कोई भी विज्ञापन इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जावेगा जिससे वाणिज्यिक संस्थान के ऊपर कंगूरों में कोई विकृति हो अथवा ये आच्छादित हो जावें।
 2. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान की छत की मुड़ेर पर अनुमत नहीं किया जावेगा। वाणिज्यिक संस्थान अपना नाम पट्टी साईज 7' x 1' निःशुल्क लगा सकेगा एवं इसमें किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शन नहीं करेगा।
 3. कोई भी विज्ञापन वाणिज्यिक संस्थान के आगे फुटपाथ अथवा सड़क की ओर झुका हुआ अनुमत नहीं किया जावेगा।
 4. कोई भी विद्युत चालित विज्ञापन मुख्य सड़क के चौराहो के केन्द्र से किसी ऊँचे भवन के सिर पर 40 फीट से कम दूरी पर नहीं लगाया जावेगा।
 5. ~~5.~~ विज्ञापन होर्डिंग्स किसी दोराहे, तिराहे या चौराहे में रुकावट करते हुए अनुज्ञापति नहीं किया जा सकेगा लेकिन सड़क सेंटर से दूरी हर हालत में 30 फीट से कम नहीं होगी।
 6. कोई भी विज्ञापन किसी यातायात नियमों के अन्तर्गत प्रदर्शित चिह्न या पट्टी में अंकित चिन्हों के रंग या नाम से पृथक होगा। ऐसे विज्ञापन द्वारा रुकावट नहीं डाली जावेगी।
 7. कोई भी विज्ञापन प्रदर्श जो यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन में बाधक अथवा खतरनाक (हजार्डअश) हो अनुमत नहीं किया जावेगा। लेकिन विज्ञापन प्रदर्श केवल दृश्य मात्र से यातायात में बाधक/खतरनाक नहीं माना जायेगा।
 8. कोई भी विज्ञापन लागू नेशनल हाईवे अधिनियम ~~5.~~ के यथा संशोधित के तहत प्राधिकृत आधोरिटी के द्वारा बनाये गये नियमों निबन्धनों के विरुद्ध नहीं होंगे।
 9. नगर प्राचीर व दीवार, सार्वजनिक भवनो, कार्यालय, शैक्षणिक संस्था अस्पताल राष्ट्रीय स्मारक, पुलों पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जावेगा।
 10. किसी भी व्यक्ति को शहर की चारदीवारी के अंदर किसी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करने, चित्रित करने या चित्रित करवाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
14. मुक्तिया :- जनहित की दृष्टि से निम्न परिस्थितियों में विज्ञापन प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। :- (1) शासकीय व विभागीय चेतावनी चिन्ह, यातायात निर्देश, मार्ग, सूचक चिन्ह/मानचित्र किसी न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी जो अपने कर्तव्यों के पालन से कोई विज्ञापन पत्र, सूचना पत्र, अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करें या प्रदर्शित करने का निर्देश दें।


उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम

23/07/2016

(30)

उदाहारणार्थ सार्वजनिक न्यास द्वारा भूमि विक्रय सम्बंधी विज्ञापन व पैट्रोल स्टेशनों पर पैट्रोल पम्प संबंधी चिन्ह वृताकार में $2.5' \times 2.5'$ लगा सकेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनहित एवं जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञापन प्रदर्श में छुट प्रदान की जा सकेगी।

15. कोई व्यक्ति दुकान/व्यवसाय/भवन/दीवार/शटर पर अपना नाम/व्यवसाय कानाम प्रदर्श, अंकित करता है चित्रित करता है तो उसे सफेद/काला/लाल रंग में चित्रित/अंकित किया जावेगा, किन्तु निर्धारित साईज $7' \times 1'$ से अधिक बोर्ड लगाने/चित्रित करने पर नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

16. निम्नांकित हस्तविपत्र अथवा सूचनाएं निर्धारित स्थलों पर निःशुल्क चिपकाई जावेगी :—

(1) वे समस्त सूचनाएं जो नगर पालिकाओं से तथा राज्य सरकार से प्राप्त होंगी।

(2) वे समस्त सूचनाएं जो विशुद्ध धार्मिक हो अथवा जनहित में उचित प्रतीत होती हो अथवा उप विधि 15. में अंकित है।

17. कोई भी व्यक्ति नगर निगम के सूचना पट्ट पर लगाये गये विज्ञापन व अन्य अनुज्ञापित विज्ञापन अथवा दीवार पर लिखे या चित्रित किये गये विज्ञापनों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचायेंगा।

18. निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय आयुक्त/राजस्व अधीकारी/राजस्व निरीक्षक/सहा.राजस्व निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में इन उप विधि में से किसी भी उप विधि का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापत्र प्राधिकारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं उप विधियों के अनुसार कार्यवाही करें।

19. इन उप विधियों के उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्ति का चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार आयुक्त को होगा।

20. इन उप विधियों के अन्तर्गत दिये गये किसी भी आदेश की अपील निगम को आदेश की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि में की जा सकेगी। निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय बाद दिया जावेगा, निगम इस उप नियम के अधिकार किसी कमेटी को दे सकेगा।

21. न्यायालय में विचारधीन अभियोग की वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार लागू राजस्थान नगर पालिका समझौता नियम के प्रावधानुसार होगा।

22. इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा $2000/-$ रु से कम नहीं होगा किन्तु जो $5000/-$ रुपये हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने तक $200/-$ रु प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड भी दिया जा सकेगा। जो किसी भी स्थिति में $5000/-$ रु से अधिक नहीं होगा।

23. अर्थदण्ड को धनराशि न्यायालय में जमा हो जाने पर राजस्थान नगर पालिका लेखा नियम 1963 के अनुसार निगम कोष में हस्तान्तरित की जावेगी।

24. सरकार/न्यायालय के द्वारा प्रतिबन्धित विज्ञापन स्थलों के अतिरिक्त लाइसेंस शुदा विज्ञापन बोर्ड को कोई अन्य विभाग नहीं हटा सकेगा।

25. कोई भी व्यक्ति संस्था, विभाग, रेलवे, परिवहन विभाग, केन्द्रीय/राजकीय सरकार/अर्द्धसरकारी विभाग/संस्थाएं अपने भवनों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विज्ञापन नहीं कर सकेंगे।

अधिकृत उपरोक्त विभागों/संस्थाओं द्वारा अपनी प्रिमिसेज में ऐसे विज्ञापन प्रदर्श किए जा सकेंगे जो सार्वजनिक भवनों/मार्गों/मैदानों/पार्कों या सार्वजनिक स्थानों से नहीं दिखते हो मात्र उनके प्रिमिसेज के अंदर ही प्रदर्श होते हो।

26. विज्ञापन से संबंधित कोई वाद होने पर विज्ञापन समिति में अपील की जा सकेगी। एवं उसका निर्णय होने पर ही वह म्यूनिसिपल बाईलॉज के तहत आगे अपील कर सकेगा।

27. निरसन और व्यावृतियां :— इन उप विधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात नगर ~~विज्ञापन~~ वीकानेर परिषद् *SCB* (विज्ञापन) उपविधिया 2007 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित उप विधियों, उप नियमों, प्रस्ताव, विज्ञप्तियों आदेश के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इन उप विधियों के प्रभावशील हो जाने के कारण अवैध नहीं समझा जावेगा बशर्ते कि ऐसा कार्य इन उप विधियों के प्रावधानों के विपरीत न हो। परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित उप विधियों के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व दी गई किसी शास्ति सम्पहरण या किये गये किसी अन्वेषण या स्वामित्व किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

आज्ञा से

जनसंघ एवं प्रतिष्ठित अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी
वीकानेर नगर निगम

2009 की वज्रा अब० के हस्त प्रबन्ध कानूनको वा घोषकान्ते
हस्त अपनाया जाया जाये जिसकी वाइरल कर्ता आजी छोड़ दिया गया।
21-1-2016 में उपायुक्त द्वारा कोल्हि दी गई।

उपायुक्त
वीकानेर नगर निगम
SCB

SCB
23/16